व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि – बैक्यार्ड मुर्गी पालन

द्वारा

सिद्ध बाबा बढोबरियाँ -स्वयं सहायता समूह

एसएचजी/सीआईजी का नाम	::	सिद्ध बाबा बढोबरियाँ मुर्गी पालन फार्म
वीएफडीएस नाम	::	कोके
श्रेणी	::	ज्वालामुखी
विभाजन	::	देहरा

इसके अंतर्गत तैयार किया गया:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थिकी तंत्र प्रबंधन एंव आजीविका सुधार परियोजना (जाईका द्वारा समर्पित)

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठों
1	कार्यकारी सारांश/परिचय	3-4
2	सामान्य हित समूह का विवरण	5
3	लाभार्थियों का विवरण	6
4	गाँव की भौगोिलक स्थिति	6
5	उत्पाद का िववरण	7
6	उत्पादन प्रक्रिया	7
7	उत्पादन योजना	8
8	विपरण	9
9	समूह के सदस्यों के बीच उद्यम का प्रबंधन	9
10	स्वोट अनैलिसिस	10
11	संभावित जोखिम और उन्हें कम करने के तरीके	11
12	व्यापार योजना की अर्थव्यवस्था का विवरण	12-15
13	समूह में निधि प्रवाह	16
14	निधियों के स्त्रोत व खरीद	17
15	प्रशिक्षण /क्षमता निर्माण /कौशल उन्नयन	17
16	**ऋण चुकोती अनुसूची**	18
17	निगरानी विधि	18
18	समूह के सदस्यों की तस्वीरें	19
19	Dmu से स्वीकृति	20-22
20	नियमों की सूची	23

1. परिचय

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख पर्वतीय राज्य है। यह पश्चिमी हिमालय में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख विशेषता इसकी विविध भौगोलिक संरचना है, जिसमें ऊँचे पर्वत, गहरी घाटियाँ तथा विस्तृत नदी-प्रणाली सम्मिलित है। प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण इसे "देवभूमि" के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य वनस्पति एवं वन्यजीवों की समृद्ध जैव-विविधता से परिपूर्ण है।

हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं, जिनमें कांगड़ा राज्य का सबसे बड़ा जिला है। कांगड़ा जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5,739 वर्ग किलोमीटर है तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 14,23,794 है।

कांगड़ा जिले में अनेक घाटियाँ हैं, जिनकी ऊँचाई अलग-अलग है। समुद्र तल से लगभग 733 मीटर की ऊँचाई पर स्थित यह जिला शिवालिक पर्वतमाला से लेकर धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं तक विस्तृत है। ब्यास तथा माँझी नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कृषि एवं मुर्गी पालन इस जिले के प्रमुख आजीविका स्रोतों में शामिल हैं।

अंडा प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत होने के कारण इसकी माँग निरंतर बढ़ रही है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा अंडाउत्पादक देश है। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 47.3 अरब अंडों का उत्पादन होता है तथा अंडों की खपत में प्रतिवर्ष 8–10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है। मुर्गी पालन छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त मुर्गियों की बीट एक उत्तम जैविक खाद है, जो मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है। चूँकि कृषि मुख्यतः मौसमी व्यवसाय है, इसलिए मुर्गी पालन वर्षभर रोजगार उपलब्ध कराने वाला एक प्रभावी एवं लाभकारी व्यवसाय सिद्ध होता है।

मुर्गीपालन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: -

i)अंडों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए

ii)कांगड़ा के गरीब किसानों की आय बढ़ाने के लिए

वीएफडीएस ब्लॉक की महिलाओं ने पोल्ट्री को अपनी आईजीए (आय सृजन गतिविधि) के रूप में चुना है। प्रारम्भ में उन्होंने कृषि के बजाय समूह के माध्यम से पोल्ट्री पालन करने का निर्णय लिया। कुछ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) पहले से ही इस कार्य में लगे हुए हैं तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब समूह की महिलाओं ने इस गतिविधि को आय सृजन के एक संगठित उद्यम के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें तथा भविष्य के लिए कुछ बचत भी कर सकें।

विभिन्न आयु वर्ग की 9 महिलाओं ने आईजीए परियोजना के अंतर्गत एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का गठन किया तथा पोल्ट्री व्यवसाय हेतु एक व्यवसाय योजना तैयार करने का निर्णय लिया। यह योजना पोल्ट्री इकाई को सामूहिक रूप से संचालित करने तथा समूह की अतिरिक्त आय बढ़ाने में सहायक होगी।

प्रस्तावित इकाई उस भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिसके लिए ग्राम पंचायत बग्गी ने इस गतिविधि को प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव/एनओसी पारित कर दी है। यह स्थान समतल है तथा मुख्य सड़क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मुर्गी पालन के लिए विद्युत एक आवश्यक सुविधा है, क्योंकि इसका उपयोग चूजों के पालन-पोषण, पानी की आपूर्ति हेतु प्रयुक्त पंपों के संचालन तथा शेड में प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाएगा।

आवास के लिए अंडे देने वाली मुर्गियों हेतु लगभग 1 वर्ग फुट प्रति पक्षी के मानक के अनुसार एक बड़ा कम- लागत (लो-कॉस्ट) पोल्ट्री हाउस बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, फार्म में एक छोटा स्टोर रूम, कार्यालय तथा श्रमिकों के लिए विश्राम कक्ष का भी निर्माण किया जाएगा। ये सभी भवन पक्की नींव एवं कंक्रीट की छत सहित निर्मित होंगे। साथ ही, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए ब्रूडर (Brooder) की व्यवस्था भी की जाएगी। ट्यूबवेल लगाने तथा पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी किया जाएगा।

एक दिन के व्यावसायिक संकर (Commercial Hybrid) चूजों को निकटवर्ती हैचरी से खरीदा जाएगा तथा हैचरी में ही उन्हें मारेक्स रोग (Marek's Disease) का टीका लगाया जाएगा। चूजों की खरीद आवश्यकतानुसार विभिन्न बैचों में की जाएगी। उनके लिए चारा स्थानीय बाजार से खरीदा जाएगा तथा उपलब्धता होने पर सीधे चारा कंपनी से भी मंगवाया जाएगा। इसी प्रकार, दवाइयाँ एवं पशु चिकित्सा सेवाएँ निकटवर्ती पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा विभाग से प्राप्त की जाएँगी

2. सएचजी/सीआईजी का विवरण

2.1	एसएचजी/सीआईजी नाम	सिद्ध बाबा बढोबरियाँ
2.2	वीएफडीएस का नाम	कोके
2.3	रेंज	ज्वालामुखी
2.4	विभाग	वन विभाग देहरा
2.5	गाँव	कोके
2.6	ब्लॉक	सुरानी
2.7	जिला	कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
2.8	सदस्यों की कुल संख्या	09
2.9	गठन की तिथि	09.09.2022
3.0	बैंक खाता संख्या	50100582029469
3.1	बैंक विवरण	HDFC बैंक
3.2	एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत -	रुपए 100/-
3.3	कुल बचत	रुपए 900/-
3.4	कुल अंतर-ऋण	रुपए 1000/-
3.5	नकद क्रेडिट सीमा	

3.लाभार्थियों का विविरण

क्रं सं	नाम (श्रीमान/श्रीमती)	पिता / पति का नाम	आयु	वर्ग	मोबाईल नंबर	पद	आय स्रोत
1	सुमना देवी	परशोत्तम सिंह की पत्नी	47	OBC	7876214366	प्रधान	िकसान
2	कृष्णा देवी	मिलाप चंद की पत्नी	48	OBC	9805698861	सचिव	िकसान
3	राज कुमारी	बख्शी राम की पत्नी	68	OBC	7807581838	कोषाअध्यक्ष	िकसान
4	नेहा	देश राज की पुत्री	22	OBC	9877366179	सदस्य	िकसान
5	संजीवना	राजीव कुमार की पत्नी	35	OBC	-	सदस्य	िकसान
6	सुदर्शन	गुरदीप सिंह की पत्नी	40	OBC	9816372359	सदस्य	िकसान
7	सुनीता देवी	Lt. श्री सुरेश कुमार की पत्नी	40	OBC	-	सदस्य	िकसान
8	सरोज कुमारी	नेक राम की पत्नी	44	OBC	6230982985	सदस्य	िकसान
9	परिमंदर कौर	तिलक राज की पुत्री	28	OBC	8582085503	सदस्य	िकसान

4. कोके गांव का भौगोिलक िववरण

4.1	जि ला मुख्यालय से दूरी	::	55 िकमी
4.2	रेंज कार्यालय से दूरी	::	20 िकमी
4.3	मुख्य सड़क से दूरी	::	500 मीटर
4.4	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	::	बग्गी – 1 िकमी
4.5	मुख्य बाजार का नाम और दूरी	::	देहरा -22 कि० मी०, कांगड़ा -38, ज्वालामुखी -15 कि० मी०
4.6	मुख्य शहरों के नाम और दूरी	::	देहरा -22 िक० मी०, कांगड़ा -38, ज्वालामुखी -15 िक० मी०, खुँि डयां – 12 िक० मी०
4.7	उन स्थानों/स्थानों के नाम जहाँ उत्पाद बेचा/िवपणन िकया जाएगा	::	देहरा -22 िकमी०, कांगड़ा -38, ज्वालामुखी -15 िकमी, खुँि डयां – 12 िक० मी०

5. आय सृजन गतिविधि से संबधित उत्पाद का िववरण

1	उत्पाद का नाम		" कोके पोल्ट्री फार्म"
2	उत्पाद की पहचान करने की विधि		इस गतिविधि का निर्णय स्वयं - स्वयं सहायता समूह द्वारा लिय गया है । स्वयं सहायता समूह के सदस्य में से एक पहले से ही यह गतिविधि कर रहे हैं । स्थानीय बाजार में इसकी भारी मांग है, जिससे अतिरिक्त आय में वृद्धि होगी।
3	स्वयं सहायता समूह/ सीआईजी/ क्लस्टर सदस्यों की सहमित		हाँ

5.1 उत्पादन नियोजन का विवरण:

प्रारम्भ में मुर्गी पालन परियोजना के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए पशु चिकित्सा विभाग तथा बागवानी एवं पशुपालन क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों से संपर्क किया जाएगा। प्रत्येक मुर्गीपालक को चूजों तथा उनके चारे के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत व्यय पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

समूह द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रारम्भ में चूजों का पालन-पोषण किया जाएगा तथा उनके बड़े होने पर उन्हें खुले एवं प्राकृतिक वातावरण में पाला जाएगा। इस प्रकार लगभग 18 सप्ताह बाद मुर्गियों का वजन लगभग 2 किलोग्राम तक हो जाएगा तथा 6 माह बाद वे अंडे देना प्रारम्भ कर देंगी।

स्थानीय बाजार में मुर्गी के मांस एवं अंडों की पर्याप्त मांग है, इसलिए समूह के सभी सदस्यों के लिए इनके विपणन में कोई कठिनाई नहीं होगी। समूह के सदस्य आपस में कार्यों का विभाजन कर स्थानीय बाजार में इनका विक्रय करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रॉयलर चिकन तथा देसी चिकन के अंडों का भी विक्रय किया जाएगा ।

6. उत्पादन की योजना बनाना

पहला दौर	
कार्य दिवस	365 दिन
काम करने वाले व्यक्ति	09 व्यक्ति
चिकन और कच्चे माल का स्रोत	सुरानी पोल्ट्री फार्म, कांगड़ा और नादौन में स्थित है, जहाँ मुर्गियां और अन्य इसी प्रकार के फार्म हैं।
अन्य संसाधन का स्रोत	सुरानी और नादौन में स्थानीय हैचरी
आवश्यक सामग्री	15 – चूजे 03 - मुर्गी 02 – मुर्गा **कुल**=20
अनुमानित उत्पादन	20*09 = 180 अंडे प्रतिदिन, 180*25 = 4500 अंडे प्रति माह
एक चक्र में कुल अंडा उत्पादन	4500*6= 27000/अंडे प्रति चक्र

1. कच्चे माल की आवश्यकता और अनुमानित उत्पादन

6.1	लिया गया समय	::	ऊपरोक्त अनुसार
6.2	शामिल सदस्यों की संख्या	::	09 महिला
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	नादौन , सपड़ेलू
6.4	व्यय संसाधनों का स्रोत	::	कांगड़ा, ज्वालामुखी में स्थानीय हैचरी, ज्वालामुखी
6.5	उत्पादन चक्र (दिनों में) 30 दिन :: प्रतिदिन 4-5 घंटे काम करने के बाद।		20 x 9 = 180 180 x 25 = 4500 अंडे प्रति माह
6.6	आधारित चक्र आवश्यक सदस्य	::	**कुल- 09 सदस्य**

2. कच्चे माल की आवश्यकता और अनुमानित उत्पादन

1. िवपणन/विक्री का विवरण:

7.1	संभावित बाजार स्थान/ गाँव एंव बाजार	::	बलेहरा, कोके, बलाहार, सलिहार, टिप सुरानी और खुँडियां, ज्वालामुखी

7.2	मांग	::	पूरे साल भर और त्योहारों और शादीओं के अवसरों पर इसकी अत्याधिक मांग रहती है।
7.3	पहचान की प्रक्रिया	::	समूह के सदस्य स्वयं करेंगे ।
7.4	विपर्ण रणनीति	::	कवर किये गए गाँव बलहर, बलाहर , कोके , सलिहार , टिप , सुरणी ।
7.5	उतपाद का ब्रांड	::	"कोके पोल्ट्री "

2. समूह सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण :

- प्रबंधन के लिए नियम बनाए जाएंगे।
- समूह के सदस्य आपसी सहमित से कार्यों का बंटवारा करेंगे।
- आवंटन कार्य की दक्षता और क्षमता के आधार पर िकया जाएगा।
- लाभ का वितरण भी कार्य की गुणवत्ता, कौशल और मेहनत के आधार पर किया जाएगा।
- मार्केटिंग का अनुभव रखने वाले 4 सदस्य बारी-बारी से मार्केिटंग करेंगे।
- प्रधान और सचिव साथ ही साथ प्रबंधन का मूल्यांकन और अवलोकन करना जारी रखेंगे।

3. ग्राहक

हमारे केंद्र के प्राथिमक ग्राहक मुख्य रूप से स्थानीय लोग, कोके गांव के आसपास के रेस्तरां और होटल होंगे, लेिकन बाद में इस व्यवसाय को आसपास के छोटे कस्बों को सेवाएं प्रदान करके बढ़ाया जा सकता है।

4. केंद्र का लक्ष्य

इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य कोके गांव के निवासियों और आसपास के गांवों के सभी निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाले ताजे अंडे और मुर्गियों उपलब्ध कराना है। यह केंद्र आने वाले वर्षों में अपने कार्यक्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ सबसे प्रसिद्ध पोल्ट्री फार्म बनने का प्रयास करेगा।

८. SWOT विश्लेषण

ताकत

- मुर्गीपालन में ऐसे खाद्य की प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है, जहाँ कुपोषण व्यापक रूप से प्रचलित है। यद्यपि अंडे और ब्रॉयलर दोनों ही प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।

- इससे ग्रामीण जनसंख्या की आय बढ़ाने में मदद मिलती है। इस प्रकार ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

- मुर्गीपालन पौधों के उत्पादों/अपशिष्ट को खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने के सबसे कुशल तरीकों में से एक है, जो विशेष रूप से भारत जैसे देश में कुपोषण की समस्या से काफी हद तक निपटने में सहायक हो सकता है।

- अन्य मांस (बीफ, पोर्क आदि) की तुलना में चिकन पर धार्मिक वर्जनाएँ कम हैं। इसलिए भारत में यह व्यापक रूप से स्वीकार्य है और बकरी के मांस की तुलना में सस्ता भी है।

- मुर्गीपालन से प्राप्त खाद का मूल्य भी अधिक होता है तथा इसका उपयोग कृषि कार्यों में प्रभावी रूप से किया जा सकता है।

- इसमें गैर-कृषि रोजगार सृजित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकने की क्षमता है। इसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है तथा अपेक्षाकृत कम समय में लाभ प्राप्त हो जाता है।

कमजोरी

- मुर्गीपालन में बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है।
-
- मुर्गीपालन उद्योग की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह अत्यधिक संगठित है।
-
- खराब परिवहन व्यवस्था, बुनियादी ढाँचे की कमी तथा कोल्ड चेन सुविधाओं के अभाव के कारण बड़ी मात्रा में अंडे एवं अन्य उत्पादों का सुरक्षित भंडारण और विपणन सीमित हो जाता है।
-
- कम वृद्धि शुल्क के साथ-साथ ब्रॉयलर फीड, ब्रूडर, ब्रीडर, हैचिंग तथा कूलिंग सिस्टम जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं पर होने वाले निवेश के कारण किसानों की आय कम हो जाती है।

- कठोर मूल्य एवं गुणवत्ता मानकों (विशेषकर एकीकरण अनुबंधों में केवल 5% मृत्यु दर की अनुमति) के कारण किसान दोषी ठहराए जाते हैं और उन्हें कम दर पर भुगतान किया जाता है। इससे किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तथा उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने का उचित अवसर नहीं मिल पाता।

अवसर

- अन्य मांस (बीफ, पोर्क आदि) की तुलना में चिकन पर धार्मिक वर्जनाएँ कम हैं। भारत में यह व्यापक रूप से स्वीकार्य है तथा बकरी के मांस की तुलना में सस्ता भी है। भारत में इसकी खपत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, इसलिए मुर्गीपालन की अपार संभावनाएँ हैं।

- इसके अलावा, भारत में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार का लाभ उठाने की भी अपार संभावनाएँ हैं।

- संतुलित पोषण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने लोगों की खान-पान की आदतों में परिवर्तन लाया है। चिकन, अंडे तथा अन्य मुर्गी उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण लोग इन्हें अपने दैनिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे हैं।

खतरे/जोखिम

- प्राकृतिक आपदाएँ।

- यदि पर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ नहीं बरती जाती हैं, तो संक्रामक मुर्गी रोग तेजी से फैल सकते हैं। हाल ही में फैले बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लुएंजा) ने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल पैदा किया है। इसके अतिरिक्त, साल्मोनेला, ई. कोलाई तथा टाइफाइड जैसी बीमारियाँ भी पोल्ट्री उद्योग को प्रभावित कर सकती हैं।

- पोल्ट्री चारे का प्रमुख घटक मक्का है, जो कुल चारा लागत का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता है। इसलिए मक्का की कीमतों में मामूली वृद्धि भी मुर्गीपालन व्यवसाय के मुनाफे को काफी हद तक कम कर सकती है

9. संभावित चुनोतियों का विवरण और उन्हें कम करने के उपाय:

क्रं. सं	जोखिमों का िववरण	::	जोखिम कम करने के उपाय
6.1	ऐसा संभव है िक बाजार में मांग की कमी हो सकती है, िजससे िबक्री और आय प्रभाि वत होगी।	::	विपरण के उद्देश्य से अतिरिक्त बाजार की खोज की जानी चाि हए।
6.2	गुणवत्ता में िगरावट के कारण::उत्पादन की आ सकती है।	::	गुणवत्ता बनाए रखने के िलए िबक्री में कमी उत्पाद के संबंध में, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

10. मशीनरी, औजार और अन्य उपकरण

ए. बुनियादी बातें और पूर्व धारणाएँ

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा
	तकनीकी-आर्थिक मापदंड		
1	पक्षियों की संख्या	नंबर	540
2	प्रति वर्ष बैच	नंबर	2
3	बैच का आकार	संख्याएँ	270
4	अंडे देने के िलए उपयुक्त पक्षी	संख्याएँ	270
5	िजन पक्षियों को मारने पर िवचार िकया जा रहा है	संख्याएँ	270
6	प्रजनन और िवकास की अविध सप्ताहों में		20
7	अंडे देने की अविध (सप्ताहों में)		52
8	आवास का प्रकार		डीप िलटर
9	ब्रूडर कम ग्रोअर हाउस में प्रति पक्षी आवश्यक स्थान	वर्ग फुट	1
10	अंडे देने वाले मुर्गीघर (पिंजरा प्रणाली) में प्रति पक्षी के लिए उपलब्ध फर्श की जगह	वर्ग फुट	0.8
11	पुनर्भुगतान की अविध	वर्ष	5
12	बैंक ऋण पर ब्याज दर	%	12
II.	**व्यय मानदंड**		
1	ब्रूडर सह ग्रोअर शेड के निर्माण की लागत	रुपये/वर्ग फुट	125
2	लेयर शेड के निर्माण की लागत	रुपये/वर्ग फुट	140
3	भंडार कक्ष के िनर्माण की लागत	रुपये/वर्ग फुट	250
4	अंडे देने वाली मुर्गियों के पिंजरों की लागत	रु./पक्षी	90
5	चारा, पानी और ड्रेसिंग उपकरण	रुपये	20
6	एक दिन के चूजों की कीमत	रु./पक्षी	40
7	अंडे देने की अविध के दौरान भोजन की आवश्यकता - 52 सप्ताह तकअंडे देना	रु./पक्षी	21
8	विकास के दौरान चारे की आवश्यकता - 20 सप्ताह	रु./पक्षी	6

9	चूजे/उगाने वाले चूजे का मैश	रुपये/िकलो	14
10	लेयर मैश की लागत	रुपये/िकलो	12
11	दवा, टीका, श्रम और विविध शुल्क	रु./पक्षी	8
12	बीमा	रु./पक्षी	1
III.	**आय मानदंड**		
1	प्रति पक्षी द्वारा उत्पादित अंडों की संख्या	प्रति चक्र अंडे	120
2	अंडे का विक्रय मूल्य	रुपये/अंडा	10
3	छांटे गए पक्षियों का विक्रय मूल्य	रु./पक्षी	700
4	गोबर और बोरी से होने वाली आय	रु./पक्षी	44

ए	**पूंजी लागत**			
क्रं . सं	**मशीनरी का विवरण**	**मात्रा**	**प्रति इकाई दर**	**कुल राशि**
1.	आवास की लागत	09	9000/व्यक्ति	81000
2.	चूजे की कीमत	180	चूजे - 45/- मुर्गी - 500/- मुर्गा - 800/-	33975
3.	फ़ीड	1 बैग/व्यक्ति	1000/-	9000
4	कच्चे माल का परिवहन सामग्री (चूजे आदि) को साइट पर ले जाना	Rs	Rs.	2025
	कुल			**126000/-**

बी	**आवर्ती लागत**				
क्रमांक	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**प्रति दर इकाई (रु.)**	**राशि (रु.)**
1	चूजों को 1 से 4 सप्ताह तक का आहार दें।	Qtl .	4	3000	12000
2	अंडे की पॅकिंग /ट्रे	संख्या	2400	5	12000
3	दवा, टीका, श्रम एवं विविध शुल्क	रु./पक्षी	500	10	5000
4	परिवहन	Rs.	Rs.	Rs.	15000
5	बीमा	%	500	1	500
	कुल				**44500 रुपये/-**

11. कुल उत्पादन और िबक्री मात्रा में महीना

चूंिक यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नियमित घरेलू कार्यों के अतिरिक्त एक गतिविधि है, इसिलए इसका परिणाम प्रत्येक सदस्य के कार्य घंटों के अनुपात में होगा। शुरुआत में उत्पादन को सीमित रखना हमेशा बेहतर होता है, िजसे समय और कार्य अनुभव के साथ बढ़ाया जा सकता है।

12 . एक चक्र में कुल उत्पादन राशि और विक्री राशि

सी)	कुल विक्री			
क्र सं	**विशिष्ट**	**मात्रा**	**दर (रु.)**	**राशि (रु.)**
1	अंडे	27000	10	270000
2	मांस/चिकन	180	800	144000
	कुल (सी)			**414000**

विवरण	**कुल राशि (रु.)**	**परियोजना योगदान (75%)**	**स्वयं सहायता समूह का योगदान (25%)**
कुल पूंजी लागत	126000	94500	31500
आवर्ती लागत	44500	-	44500
कुल	**170500**	**94500**	**76000**

हालांकि , एक राशि **94500 रुपये** इसलिए परियोजना समर्थन गणना के उद्देश्य से, इस राशि को व्यय कॉलम से सुरक्षित रूप से घटाया जा सकता है और शुद्ध आय को पुनः तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह के सदस्य सामूहिक रूप से काम करेंगे, इसिलए उनकी मजदूरी को ध्यान में नहीं रखा गया है। महीने के अंत में शुद्ध आय को
िनम्नानुसार पुनः तैयार किया जाता है:

पूंजी लागत		
ब्यौरा	**मात्रा**	**स्वयं समूह का योगदान**
पूंजी लागत	126000	31500
पुनरावर्ती व्यय	-	
I) पूंजी लागत पर वार्षिक 10% मूल्यह्रास	12600	
ii)सामग्री की लागत आदि पर होने वाले अन्य व्यय।	44500	
कुल	57100	
कुल लागत	**31500 + 57100 = 88600**	
कुल विक्री अनुसूचित जनजाति	**414000 - 88600**	
शुद्ध लाभ	**325400/-**	

13. लाभ का बंटवारा

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रत्येक सदस्य को प्रति व्यक्ति ₹25,000 आय के रूप में वितरित किए जाएँगे तथा शेष ₹1,00,400 समूह के बैंक खाते में आपातकालीन आरक्षित निधि के रूप में सुरक्षित रखे जाएँगे, ताकि भविष्य में किसी भी आकस्मिक स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

14. समूह में निधि प्रवाह:

विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान (75%)	स्वयं सहायता समूह का योगदान (25%)
कुल पूंजी लागत	126000/-	94500/-	31500/-
आवर्ती लागत	44500/-	-	44500/-
प्रशिक्षण	13560/-	13560/-	0
कुल	**184060/-**	**108060/-**	**76000/-**

टिप्पणी -

पूंजी लागत – परियोजना की कुल पूंजी लागत का 25% वहन किया जाएगा।

आवर्ती लागत – संपूर्ण खर्च स्वयं सहायता समूह/सीआईजी द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रशिक्षण /क्षमता निर्माण /कौशल उन्नयन– परियोजना द्वारा वहन की जाने वाली कुल लागत

15 निधियों के स्रोत और खरीद:

परियोजना सहायता	* पूंजीगत लागत का **50%** भाग मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। * स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के बैंक खाते में **₹1,00,000** की राशि एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। * प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन पर व्यय किया जाएगा।	* मशीनों की खरीद संबंधित डीएमयू/परियोजना द्वारा की जाएगी। * सभी खरीद की प्रक्रिया ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से की जाएगी। लाभार्थी योगदान
लाभार्थी योगदान	* पूंजीगत लागत का **25%** स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। * स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाने वाली अन्य लागत।	-

16 प्रशिक्षण /क्षमता निर्माण /कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन का संपूर्ण व्यय परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रस्तावित/आवश्यक प्रशिक्षण:-

- टीम वर्क
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग एवं विपणन कौशल
- प्रबंधन

17. ऋण चुकौती अनुसूची-

- यदि ऋण बैंक से लिया जाता है, तो यह नकद क्रेडिट सीमा (Cash Credit Limit – CCL) के रूप में होगा तथा सीसीएल के लिए कोई निश्चित पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं होगी। हालांकि, सदस्यों द्वारा मासिक बचत एवं पुनर्भुगतान राशि सीसीएल के माध्यम से नियमित रूप से जमा की जानी चाहिए।

- सीसीएल योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को बैंक से प्राप्त मूल ऋण का पूर्ण भुगतान वर्ष में कम-से-कम एक बार करना अनिवार्य होगा। ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।

- सावधि ऋण (Term Loan) की स्थिति में बैंक द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार समय पर भुगतान करना आवश्यक होगा।

18.निगरानी विधि –

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति ऑडिट की प्रगति एवं प्रदर्शन की नियमित निगरानी करेगी तथा यदि आवश्यक हो, तो इकाई के संचालन को अनुमोदित योजना के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देगी।

- स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक बैठक में आंतरिक वित्तीय प्रबंधन, लेखा-जोखा की समीक्षा तथा प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो इकाई के संचालन को योजना के अनुरूप बनाए रखने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

19. समूह सदस्यों की तस्वीरें-

20. **व्यापार योजना की स्वीकृति**

BUSINESS PLAN APPROVAL BY VFDS & DMU

Sidh Baba Badabagi Group will undertaken the Bulb farming livelihood Income Generation Activity under the project for implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem Management & livelihood (JICA assisted). In this regard business plan of amount Rs. 184060/- has been submitted by group on 07/05/25. And the business plan has been approved by the VFDS Kake

Business plan submitted through FTU for further action please.
Thank you

सुमना देवी
Signature of Group President

कृष्णा देवी
Signature of Group Secretary

Approved
DMU – CUM - Dehra

संकल्प-सह-समूह सहमित प्रपत्र

Resolution - cum - Group Consensus Form

It is decided in the General House meeting of the group ..Sidh Baba Badebaliyan at VFDS ...Koke..... that our group will undertake the Poultry Farm as Livelihood Income Generation Activity under the Project for improvement of Himachal- Pradesh Forest Ecosystem Management & Livelihoods (JICA Assisted).

सुमन देवी

Signature's of Group Pradhan

Signature's of Group Secretary

Submitted to DMU through FTU

Name & Signature of FTU Officer

Range Forest Office,

kangra (H.P)

SAVITA DEVI Savitadevi

Name & Signature of FTU Coordinator

Approved

Name & Signature of DMU officer

सदन के नियमों की सूची

1. समूह का कार्य : कोके (पोल्ट्री) उत्पादन होगा।

2. समूह का पता: ग्राम – कोटे, डाकघर –बग्गी , तहसील –खूँि डयाँ , जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

3. समूह के कुल सदस्य: 09 महिलाएँ।

4. समूह की पहली बैठक की तिथि: 09.09.2022

5. समूह में प्रत्येक ₹100 पर ₹2 का ब्याज लगाया जाएगा।

6. समूह की मासिक बैठक प्रत्येक माह की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी।

7. समूह के सभी सदस्य प्रत्येक माह अपनी बचत राशि समूह में नियमित रूप से जमा करेंगे।

8. स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9. स्वयं सहायता समूह के नाम से बैंक खाता खोला जाएगा।

10. यदि कोई सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है, तो वह प्रधानाध्यक्ष एवं सचिव को उचित कारण बताकर पूर्व सूचना देगा।

11. जो सदस्य नियमित रूप से बचत राशि जमा नहीं करेगा अथवा लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेगा, उसे समूह से निष्कासित किया जा सकता है।

12. यदि कोई सदस्य बिना किसी उचित कारण के बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो अगली बैठक उसके घर पर आयोजित की जाएगी तथा बैठक का व्यय उसी सदस्य द्वारा वहन किया जाएगा। यदि दो सदस्य अनुपस्थित हों, तो व्यय दोनों सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा।

13. स्वयं सहायता समूह के प्रधानाध्यक्ष एवं सचिव का चयन सर्वसम्मति से किया जाएगा।

14. प्रधानाध्यक्ष एवं सचिव बैंक खाते का संयुक्त रूप से संचालन करेंगे। उनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

15. समूह का कोई भी सदस्य समूह के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा तथा समूह की धनराशि का सदैव उचित एवं पारदर्शी उपयोग करेगा।

16. यदि कोई सदस्य किसी भी कारण से समूह छोड़ना चाहता है और उसने समूह से ऋण लिया हुआ है, तो उसे पहले समूह का समस्त ऋण चुकाना होगा। ऋण चुकाने के पश्चात ही वह समूह छोड़ सकता है, अन्यथा नहीं।

17. बैठक में ऋण का उद्देश्य, ऋण राशि, ऋण चुकाने की अवधि, ऋण की किस्त तथा ब्याज दर निर्धारित की जाएगी।

18 . आपातकालीन स्थिति में प्रधानाध्यक्ष एवं सचिव के पास कम से कम ₹1,000 की नकद राशि उपलब्ध होनी चाहिए।

19 . स्वयं सहायता समूह का रजिस्टर प्रत्येक बैठक में सभी सदस्यों के समक्ष पढ़ा एवं लिखा जाना चाहिए।

20. बड़े कर्जदारों को ऋण की देय तिथि से एक सप्ताह पूर्व सूचना दे दी जाएगी।

21. आवश्यकता पड़ने पर सभी सदस्यों को समूह से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

22 . यदि कोई सदस्य बिना किसी कारण के समूह छोड़ना चाहता है, तो उस सदस्य की जमा राशि समूह में विलय कर दी जाएगी।

23 . समूह द्वारा प्रत्येक महीने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (PIU), देहरा डिवीजन के कार्यालय में अपनी मासिक रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी।

(**व्यवसाय योजना का निर्माण के द्वारा किया गया)**

1. श्री मदन लाल शर्मा, सेवानिवृत्त हिमाचल प्रदेश वन सेवा (HPFS)
2. दीक्षा, एसएमएस, जाइका वानिकी परियोजना
3. सविता, एफटीयू, ज्वालामुखी